

प्रेषक,

कहकशां नसीम,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, फॉरेस्ट कालोनी, इन्दिरानगर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग-03

देहरादून: दिनांक: 27 जून, 2025

विषय: जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विकासखण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजल मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉंगटी तक 6.00 किमी० मोटरमार्ग का 4.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2689/12-1, दिनांक-07 अप्रैल, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत कपकोट विकासखण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाड़ी तेजल मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉंगटी तक 6.00 किमी० मोटरमार्ग का 4.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-08बी/यू०सी०पी०/06/40/2025/एफ०सी०/90, दिनांक-17.04.2025 के आधार पर विधिवत् स्वीकृति अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण:
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 9.72 है० सिविल सोयम भूमि ग्राम-बदियाकोट पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
(ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से राज्य के वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है तथा अवगत कराया गया है कि "यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र घोषित है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है" अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गई है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।
5. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी

- प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 180 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
 7. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass/overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
 8. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.
 9. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
 10. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State Forest Department shall prepare Wildlife Mitigation/Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.
 11. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
 12. संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
 13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
 14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
 15. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
 16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
 17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर. सी. सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
 18. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।
 19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।

20. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

Digitally signed by
Kahkashan Naseem

Date: 27-06-2025

12:05:25

भवदीया,

(कहकशां नसीम)

अपर सचिव।

संख्या: 1/30 (1)/X-3-25/1(340)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
3. जिलाधिकारी, जनपद-बागेश्वर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट, बागेश्वर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by

Dhirendra Kumar Singh

Date: 27-06-2025

12:07:42

(धिरेंद्र कुमार सिंह)

उपसचिव।



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Regional Office, Dehradun



25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001

दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 8 बी/यू०सी०पी०/06/40/2025/एफ०सी० | 90

दिनांक: As per E-sign

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),

उत्तराखण्ड शासन,

सुभाष रोड, देहरादून।

विषय:- जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट विकास खण्ड के अंतर्गत शामा से रमाडी तेजल मोटर मार्ग से जानधूरा होते हुए डोंगटी तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का 4.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/15785/2015)।

सन्दर्भ:- कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या 1299/12-1 : देहरादून : दिनांक 26.10.2024 (compliance report of Stage-I approval).

महोदय,

उपरोक्त विषय अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 03.03.2025 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 संशोधन वर्ष **2023** के प्रावधानों के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 24.10.2016 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालना प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार - जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट विकास खण्ड के अंतर्गत शामा से रमाडी तेजल मोटर मार्ग से जानधूरा होते हुए डोंगटी तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का 4.86 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

उभारी लगेइवा
आ० का० सं० 1.

वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, वन संरक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

पृष्ठ सं० 4734

2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर-वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3. प्रतिपूरक वनीकरण

- (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 9.72 है० सिविल सोयम भूमि, ग्राम- बदियाकोट पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाएगा और प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।
- (ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से राज्य के वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है तथा अवगत कराया गया है कि “यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र घोषित है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है” अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित कर दी गई है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।
4. प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों का भी अक्षरशः पालन किया जाएगा।
5. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 180 वृक्षों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
7. प्रयोक्ता अभिकरण तथा राज्य सरकार इस परियोजना से संबंधित सभी राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड, राज्य वन्य प्राणी बोर्ड, मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक द्वारा दिये गए निर्देशों का पालन करेगी तथा mitigative measures में दिये गए प्रावधानों के अनुसार under pass / overpass, अन्य कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी, यदि लागू हो।
8. The user Agency in consultation with the State Government shall create and maintain alternate habitat/ home for the avifauna, whose nesting trees are to be cleared in this project. Bird's nests artificially made out of eco-friendly material shall be user in the area, including forest area and human settlements, adjoining the forest area being diverted for the project, if applicable.
9. The user agency shall assist the State Government in conservation and preservation of the flora and fauna of the area in accordance with the plan prepared by the Chief Wildlife Warden of the State, if applicable.
10. The User Agency shall ensure that because of this project, no damage is caused to the wildlife available in the area, if applicable. The State Forest

Department shall prepare Wildlife Mitigation/ Management Plan (WLMP) or Soil and Moisture Conservation Plan (SMCP) at the cost of User Agency which should be based on the specific field requirements based on the actual cost of the interventions required to be made at the site and not based on the indicative financial outlay totaling to 2% (for WLMP) or 0.5% (for SMCP) of the total project cost.

11. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
12. संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
13. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
14. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
15. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
17. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।
18. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों ओर और central verge पर strip plantation करेगी।
19. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज बनाया जाएगा।
20. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

This bears the approval of competent authority.

भवदीया,

Digitally signed by
Neelima Shah
Date: 17-04-2025
16:33:03

(नीलिमा शाह, भा०व०से०)

सहायक महानिरीक्षक वन (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तृतीय तल (फ्रंट पोर्शन), सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग (लाइन-3), नई दिल्ली-110001 (Email: nationalcampa-moefcc@gov.in).
4. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली।